

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 955]

नवा रायपुर, शनिवार, दिनांक 13 दिसम्बर 2025 — अग्रहायण 22, शक 1947

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 13 दिसम्बर 2025

अधिसूचना

एफ RULE-8/76/2025-REVENUE.— छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 172 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, अधिसूचित करती है कि निम्नलिखित भूमियों के व्यपवर्तन हेतु सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं होगी,-

1. नगर निगम एवं नगरपालिका क्षेत्रों,
2. नगर निगम तथा नगरपालिका की बाह्य सीमाओं से 5 कि.मी. के क्षेत्रों,
3. नगर पंचायत क्षेत्रों,
4. नगर पंचायत की बाह्य सीमाओं से 02 कि.मी. के क्षेत्रों,
5. ग्रामीण क्षेत्रों।

और सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित रीति से उक्त भूमियों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरविन्द कुमार एक्का, संयुक्त सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 13th December 2025

NOTIFICATION

F. No. RULE-8/76/2025-REVENUE.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 172 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby notifies that permission of the Competent Authority shall not be required for the diversion of the following lands,-

1. Municipal Corporation and Municipality Areas,
2. Areas within 5 KMs from the outer limits of Municipal Corporation and Municipality,
3. Nagar Panchayat Areas,
4. Areas within 2 KMs of from the outer limits of the Nagar Panchayat,
5. Rural Areas.

and the reassessment of said lands shall be done by Competent Authority in the prescribed manner.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh
ARVIND KUMAR EKKA, Joint Secretary.